190
6/7/16

(1) सभी Pry को circulate करें
(2) Website पर
(3) Guard File में संधारण करें

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

माननीय मुख्य मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2016 को बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं संभावित अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा संबंध में सभी संबंधित विभागों एवं प्रमण्डलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही –

- उपस्थिति – संलग्न ।
- मुख्य सचिव, बिहार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, विकास आयुक्त एवं सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक के विषय में संक्षिप्त जानकारी के साथ सभी पदाधिकारियों को आगामी बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति से निपटने के संबंध में पूरी तरह से तैयार रहने का निदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष राज्य के कुछ जिले बाढ़ एवं कुछ सुखाड़ से प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से जल संसाधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग एवं पथ निर्माण विभाग को संभावित बाढ़ एवं अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विशेष तैयारी करने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया।
- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मॉनसून वर्षा 2016 के पूर्वानुमान अपडेट (2 जून 2016) के आलोक में बाढ़ पूर्व तैयारियों एवं संभावित अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु की जाने वाली तैयारियों का विस्तृत रूप से प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें बिहार राज्य में बाढ़ प्रवणता, बाढ़ पूर्व तैयारियां, बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की गई बाढ़ पूर्व तैयारियां उपलब्ध सामग्री संसाधन एवं बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु जिलो को उपलब्ध कराये गये आवंटन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही राज्य में अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु उठाए गए कदम के संबंध में भी प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मॉनसून वर्षा 2016 संबंधी पूर्वानुमान अपडेट को विश्लेषित करते हुए बाढ़ की संभावना के साथ–साथ सुखाड़ की संभावना को भी रेखांकित किया गया।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि NDRF की टीमों को सुपौल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, बिहटा एवं पटना तथा SDRF की टीमों को सीतामढ़ी, भागलपुर, खगड़िया, मधुबनी, मधेपुरा एवं

पूर्णियां में प्रतिनियुक्त की गई है तथा उनके साथ उस क्षेत्र के शेष बाढ़ प्रवण जिलो को संबंद्ध किया गया है।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा पृच्छा की गई कि वर्त्तमान में क्रय किए जा रहे पॉलीथीन शीट्स से बेहतर गुणवत्ता के पॉलीथीन शीट्स बाजार में उपलब्ध है या नहीं इस संबंध में Explore करना चाहिए। इस संबंध में प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि पॉलीथीन शीट्स का क्रय DGS&D specification के अनुसार किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री ने गोवा प्रवास का अपना अनुभव बताते हुए कहा कि वहाँ पर पालीथिन शीट से बने कैम्प उन्होंने देखे हैं जिसमें इस्तेमाल किए गए पॉलिथिन शीट थोड़ा मोटा थे। फलस्वरूप समुद्री हवा के बावजूद वे टिकाऊ थे। निर्णय लिया गया कि गोवा में इस्तेमाल होने वाले पॉलिथिन शीट्स के Specification की जानकारी प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए।

- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2016 बाढ़ से निपटने हेतु विभाग की तैयारियों के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण किया गया । उनके द्वारा बताया गया कि बाढ़ से सुरक्षार्थ बाढ़ 2016 पूर्व कुल 295 स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य मॉनसून अवधि के पूर्व पूर्ण कर लिया गया है। बाढ़ अवधि में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पटना स्थिति केन्द्रीय भंडार एवं क्षेत्र में स्थित विभिन्न केन्द्रीय भंडारों के साथ–साथ आक्राम्य/अतिआक्राम्य स्थलों पर भी पर्याप्त मात्रा में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का भंडारण किया गया है। उनके द्वारा 18 जुन तक अधिकतम जल स्राव, वर्षापात एवं विभिन्न नदियों के अधिकतम जलस्तर के सापेक्ष विभाग की तैयारियों पर जानकारी दी गई । सभी तटबंधो पर संबंधित अभियंताओं की प्रतिनियुक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि तटबंध की सतत निगरानी रखी जाय तथा आवश्यकतानुसार मरम्मति एवं बचाव कार्य किये जाएं । अति आक्राम्य स्थलों की पहचान कर उन स्थलों पर आवश्यकता के अनुरूप मशीन यथा Dredger/Hydraulic Crane/Hydraulic excavator/Barge की व्यवस्था बाढ़ संघर्षात्मक कार्य को तुरंत एवं प्रभावी ढंग से करने के उद्देश्य से की गई है। बाढ़ अवधि में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आक्राम्य एवं अतिआक्राम्य स्थलों पर बाढ़ संघषात्मक सामग्रियों यथा Geo Bag, Mega Geo Bag, E.C. Bag, Nylon Crate, B.A.Wire Crate, Boulder, Local Sand इत्यादि का भंडारण किया गया है। बाढ़ के दौरान आक्राम्यता की स्थिति उत्पन्न होने पर कम से कम समय में कटाव स्थल पर पहुँचकर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का स्वरूप निर्धारण कर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को परामर्श देने निमित बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष के रूप में अनुभवी सेवा निवृत्त वरीय अभियंताओं को रखा गया है। विशेष व्यवस्था के रूप में अतिआक्राम्य स्थलों/तटबंधों की सुरक्षा हेतु अद्यतन Satellite Imagery,

नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हुए वर्षापात एवं वर्षापुर्वानुमान का अध्ययन कर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सहयोग हेतु विशेषज्ञ अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थलों पर आवश्यकतानुसार भेजे जाने हेतु छः विशेष दल का मुख्यालय स्तर पर गठन किया गया. है, जिसमें अधीक्षण अभिंयता, कार्यपालक अभिपयंता एवं सहायक अभियंता स्तर के पदाधिकारी है। आक्राम्य/अतिआक्राम्य स्थलों की पहचान कर उन स्थलों पर अस्थायी कैम्प की व्यवस्था की गई है। बाढ अवधि में तटबंधों के सुरक्षार्थ एवं आपात स्थिति में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखने के निमित क्षेत्रीय अभियंताओं को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। तटबंधों की round the clock गश्ती एवं निगरानी की व्यवस्था की गई है। तटबंधों पर गश्ती सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में प्रत्येक किलोमीटर पर गृह-रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सूचनाओं को द्रुत गति से आदान प्रदान करने निमित संबंधित सभी स्तर के पदाधिकारियों को CUG मोबाईल की सुविधा प्रदान की गई है।

- निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मॉनसून वर्षा 2016 के संबंध में राज्य में मॉनसून की स्थिति का प्रस्तुतीकरण किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि राज्य में मॉनसून का आगमन 7 दिन विलम्ब से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वज्रपात से जानमाल की हुई क्षति पर चिंताव्यक्त करते हुए वज्रपात की बढ़ती घटनाओं के संबंध में पृच्छा की गई। जिसके आलोक में निदेशक, IMD द्वारा बताया गया कि वज्रपात का पूर्वानुमान लगाने हेतु अबतक कोई तकनीक विकसित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से राज्य में विगत वर्षों में वज्रपात की बढ़ती तीव्रता के संबंध में अध्ययन करने का अनुरोध किया गया ।

  माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा कहा गया कि वज्रपात से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लोगों को ''क्या करें / क्या न करें'' के संबंध में सलाह दिया जाए।

- केन्द्रीय जल आयोग के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 1 जून से केन्द्रीय जल आयोग का नियंत्रण कक्ष चालू हो गया है। आंकड़े संबंधी सूचनायें सभी संबंधितों को भेजा जा रहा है। बाढ़ पूर्व अनुमान हेतु 35 साईट कार्यरत है जो सभी प्रमुख नदियों पर अवस्थित है।

- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि Urban Flooding के रोकथाम हेतु नालो की सफाई कराई गई है एवं नालों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। पटना शहर में पहाड़ी पर एवं कंकड़बाग स्थित, पम्प की क्षमता वृद्धि की गई है एवं उक्त स्थलों पर पर्याप्त

मात्रा में डीजल सुरक्षित रखा जा रहा है, ताकि बिजली की समस्या होने पर कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। कुछ जगहों पर डीजल पम्प सेट लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

- कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा आकस्मिक फसल योजना तैयार की जा रही है। प्रत्येक जिले में एक–एक कृषि वैज्ञानिक को प्रतिनियुक्त किया गया है। खरीफ उत्पादन कार्यक्रम का SOP सभी जिलों को भेज दिया गया है। अल्प वर्षापात के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार किया गया है। मक्का एवं मोटे अनाज के आच्छादन का विस्तार किया जा रहा है, साथ ही अरहर एवं मडुआ को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अल्प वर्षापात की स्थिति उत्पन्न होने पर डीजल अनुदान वितरण हेतु भी आवश्यक तैयारियां की जा रही है।
- महानिदेशक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा एवं महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा बताया गया कि बाढ़ के समय नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को भी राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया जाएगा तथा तटबंधों की सुरक्षा हेतु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत होमगार्डो की प्रतिनियुक्ति हेतु निदेश जारी कर दिये गये हैं।

  माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि जल संसाधन विभाग यह सुनिश्चित करे कि तटबंधों पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति प्रभावी ढंग से हो ।
- समादेष्टा, एन0डी0आर0एफ0 द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि जिलों में प्रतिनियुक्त टीमों द्वारा जिला पदाधिकारी से समन्वय कर समुदाय को बाढ़ आपदा से बचाव एवं राहत कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्य भी किया जाता है।
- समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु की जा रही कार्रवाई एवं एस0डी0आर0एफ0 के पास उपलब्ध संसाधनों पर प्रस्तुतीकरण किया गया।
- मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निम्नलिखित निदेश दिया गया :–
  1. बाढ़ के समय शरण स्थलों पर स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  2. पूर्व में आवंटित डीजल अनुदान की राशि का शतप्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही जिला विशेष को डीजल अनुदान की राशि आवंटित की जाए।
  3. सभी जिला पदाधिकारी यह verify कर लें कि कृषि विभाग के पदाधिकारी जिलों में बिचड़ों की नर्सरी लगाएं हैं कि नहीं।

- माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ से निपटने हेतु मुस्तैदी से कार्य करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।
- अन्त में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए निम्नानुसार निदेश दिए :–

1. सभी जिला पदाधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ एवं सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ से निपटने हेतु अपने जिले में की जा रही तैयारियों की पूरी समीक्षा अगले 15 दिनों में पूरी कर लें ।
2. जिला पदाधिकारियों के साथ अगले 15 दिनों के बाद संभावित बाढ़ एवं अल्प वर्षापात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने हेतु कृत कार्रवाईयों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से की जाएगी जिसमें केवल जिला पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।
3. जिलास्तर पर जिला पदाधिकारी आवश्यक होने पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करें।
4. जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंधों पर होमगार्डो की प्रतिनियुक्ति की जांच संबंधित जिला पदाधिकारी कर लें।
5. वर्षापात के आंकड़े प्रतिदिन संग्रह किए जाएँ एवं आगे प्रेषित किए जाएं।
6. आपदा प्रबंधन में जो resource लगाएँ जाएँ उनका proper utilization हो।
7. सभी विभाग भी यथानुसार अपनी तैयारियाँ पूरी कर लें।

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह0 / –
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –1प्रा0आ0–26 / 2010 / .... / आ0प्र0, पटना–15, दिनांक –

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी / सभी पुलिस अधीक्षक / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

ह0 / –
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –1प्रा0आ0–26/2010/......................./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक –

प्रतिलिपि प्रधान सचिव/ सचिव, कृषि/ गृह / जल संसाधन / लघु जल संसाधन/ऊर्जा/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/ स्वास्थ्य / पशु एवं मत्स्य संसाधन/ग्रामीण विकास विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण/ भवन निर्माण/ पथ निर्माण /नगर विकास एवं आवास विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण /सूचना एवं जन संपर्क विभाग / अध्यक्ष, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी लि0/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम / निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, हवाई अड्डा परिसर, पटना/ कार्यपालक अभियन्ता, मिडिल गंगा डिविजन–5, केन्द्रीय जल आयोग, पटना/ समादेष्टा, 9वीं बटालियन, एन0डी0आर0एफ0, बिहटा, पटना/ समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0, बिहटा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –1प्रा0आ0–26/2010/......................./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक –

प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिदेशक (नागरिक सुरक्षा)/ पुलिस महानिदेशक (गृह रक्षा वाहिनी) को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –1प्रा0आ0–26/2010/......................./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक –

प्रतिलिपि कृषि उत्पादन आयुक्त/ विकास आयुक्त/ मुख्य सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –1प्रा0आ0–26/2010/2534/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक –1/7/16

प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / माननीय उपाध्यक्ष/ सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ प्रेषित

30/6/16

संयुक्त सचिव

\\Pc3-pc\2016\Proceeding\Proceding Video Conferecing 22.06.2016.docx